



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264279
CG-DL-E-01072025-264279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2887]
No. 2887]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

आय-कर

का.आ. 2954(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) तारीख 5 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“25	2025-26	376”।
-----	---------	-------

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 70/2025/फा. सं. 370142/24/2025-टीपीएल]

सैमुअल पिट्टा, उप सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2103(अ) तारीख 24 मई, 2024 द्वारा किया गया था।